न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—47/2017/223 (2017/00047)

1. हरीकिशन पुत्र रघुनाथ सिंह, मानसिंहका, नि0 पुसा, रेल्वे लाईन के पास, भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. घासी वल्द लादू,
2. सुवा वल्द लादू,
   जाति चमार, नि0 ग्राम बरल दोयम, तह0 बिजयनगर, जिला अजमेर ।
3. भैरूलाल पुत्र नानूराम, जाति बलाई, नि0 मेजा, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसलदार, बिजयनगर, जिला अजमेर ।
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलक्टर, मसूदा दिनांक 13.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 155/2011.

उपस्थितः—

1. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील अपीलांट ।
2. श्री वैभव कृष्ण पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 4 व 5.

निर्णय

दिनांकः— 30.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलक्टर, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा बरल द्वितीय, तह0 बिजयनगर में स्थित आराजी खसरा नंबर 1126/1479 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा स्थित है, जिसमें 2/3 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का व 1/3 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 3 का है । खसरा नंबर 1126/1 व 1126/2 अपीलांट की खातेदारी की आराजियात है। राजस्व रिकार्ड में यह तीनों नंबर पृथक पृथक खातेदारान की खातेदारी में दर्ज है जो कि मूल खसरा नंबर 1126 के भाग है । मौके पर समस्त खातेदार अपने कब्जे काश्त के अनुसार काबिज काश्त है । खसरा नंबर 1126 राजस्व नक्शे में एक ही अंकित है । विवादित खसरा नंबर 1126/1479, 1126/1 व 1126/2 की पृथक—पृथक तरमीम नहीं है। वादी/रेस्पो0

संख्या 1 व 2 खसरा नंबर 1126/1 व 1126/2, 1127, 1123 की उत्तरी पाल से अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1126/1479 में आते जाते है किन्तु वर्तमान अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 की नियत खराब हो गयी है और अपने कारकूनों को साथ लेकर खसरा नंबर 1126 व 1126/1 व 1126/2 के पश्चिमी हिस्से पर गहरे गड्डे कर दिये है और पक्की दीवार का निर्माण कराना चाहता है। जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 को पाबंद कराने हेतु यह वाद पेश किया है। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का वाद स्वीकार कर लिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलांट विवादित आराजी खसरा नंबर 1126/1 व 1126/2 का खातेदार काश्तकार है और उपरोक्त आराजियात पूर्व से ही अपीलांट के कब्जे काश्त मेमं रही है तथा इसके चारो तरफ चारदीवारी निर्मित है । जिसकी पुष्टि दिनांक 7.10.2016 को तहसीलदार, मसूदा द्वारा तलब की गई पटवारी रिपोर्ट से भी होती है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए वाद पेश किया है तथा अधी0न्याया0 के समक्ष यह कथन कहे कि अपीलांट उनके मार्ग में अवरोध पैदा कर रहा है जबकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 पूर्व से ही दक्षिण दिशा में स्थित आराजी खसरा नंबर 1123 से अपने खेतों में आते जाते रहे है । अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का अतिचार नहीं किया गया है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने वाद उद्घोषणा बाबत् पेश किया था और दादरसी के रूप में अपीलांट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही है जबकि अपीलांट अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1126/1 व 1126/2 पर पक्की दीवार बनाकर काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया ही वादीगण/रेस्पो0 का वाद खारिज योग्य था। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि उक्त वाद में आदेशिका दिनाक 13.12.2012 के अनुसार अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 3 को जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया था जिसके पश्चात् दिनांक 5.6.2014 को अपीलांट का जवाबदावा बंद कर दिया तथा रेस्पो0 संख्या 5 व 6 का जवाबदावा लिया जाना भी आवश्यक नहीं समझ वाद को सीधे ही वादी साक्ष्य हेतु नियत कर दिया जबकि उपरोक्त वादपत्र के आधार पर तनकियात कायम की जानी चाहिये थी जिसके पश्चात् वादी साक्ष्य होनी चाहिये थी । उक्त वाद दिनांक 20.4.2016 को प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत था जिसे करवाये बिना वाद को निर्णित करने में अधी0न्याया0 ने विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा अपना अधिवक्ता नियुक्त किया था किन्तु उनके अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को जवाब बंद किये जाने के संबंध मे कभी कोई सूचना नहीं दी गई थी । अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती है । रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की दीवार को गिराने को क्षति पहुंचाने पर अपीलांट द्वारा पुलिस थाना बिजयनगर में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट की भूमि पर पूर्व से ही दीवार निर्मित है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावें।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री जानकारी पूर्व में अपीलांट को नहीं थी । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा जब अपीलाधीन आराजियात पर अपीलांट की दीवार को क्षति पहुंचाई गई

तो अपीलांट के द्वारा थाना, बिजयनगर में रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 13.6.2016 को वाद डिक्री किये जाने की जानकारी हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 25.1.2017 को आवेदन पेश किया जिस पर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर अधिवक्ता से कानूनी सलाह उपरांत यह अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । मौजा बरल द्वितीय, तह0 बिजयनगर में स्थित आराजी खसरा नंबर 1126/1479 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा स्थित है, जिसमें 2/3 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का व 1/3 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 3 का है । खसरा नंबर 1126/1 व 1126/2 अपीलांट की खातेदारी की आराजियात है। राजस्व रिकार्ड में यह तीनों नंबर पृथक पृथक खातेदारान की खातेदारी में दर्ज है जो कि मूल खसरा नंबर 1126 के भाग है । मौके पर समस्त खातेदार अपने कब्जे काश्त के अनुसार काबिज काश्त है । खसरा नंबर 1126 राजस्व नक्शे में एक ही अंकित है । विवादित खसरा नंबर 1126/1479, 1126/1 व 1126/2 की पृथक–पृथक तरमीम नहीं है। वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 खसरा नंबर 1126/1 व 1126/2, 1127, 1123 की उत्तरी पाल से अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1126/1479 में आते जाते है । इस रास्ते को आम बोलचाल में शक्कर मिल का रास्ता कहा जाता है । इसके बावजूद अपीलांट ने खसरा नंबर 1126 के व 1126/1 व 1126/2 के पश्चिमी हिस्से में गहरे गड्डे कर दिये और नीवें खोदकर पक्की दीवार का निर्माण करवाने पर आमादा है जिसका अपीलांट को कोई हक व अधिकार नहीं है । अपीलांट को रेस्पो0 के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने तथा सिंचाई के साधन को बंद करने का अधिकार नहीं है और न ही किसी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध नक्शे से भी उक्त रास्ते की पुष्टि होती है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना तनकियात कायम किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाबदावा हक बंद करने के आदेश दिनांक 5.6.2014 को पारित किये है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट का कथन रहा है कि अधी0न्याया0के समक्ष उनके द्वारा अधिवक्ता श्री भवानी प्रताप सिंह राठौड़ को नियुक्त किया गया था किन्तु

उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये पर जवाबदावा हक बंद किया गया है जिसकी सूचना उनके अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को कभी भी नहीं दी गई । इस कारण अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे । अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को दिया जाना न्यायोचित नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 में पत्रावली वास्ते शहादत प्रतिवादी हेतु नियत थी किन्तु प्रतिवादी की शहादत लिये बिना प्रकरण को लोक अदालत न्याय आपके द्वार में रखकर निर्णित कर दिया है । अधी0न्याया0 की उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट/प्रतिवादी को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना तनकियात कायम किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 को को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करे । इस दौरान उभयपक्ष अपीलाधीन आराजियात के मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर